अनुबंध II

15 मार्च 2011के एपी (डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 45 का अनुबंध

विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों संबंधी वार्षिक विवरणी को
भरते समय प्रयोग की जाने वाली अवधारणाएं और परिभाषाएं

इंटरप्राइज का निवास स्थान

किसी इंटरप्राइज को किसी देश (आर्थिक क्षेत्र) में आर्थिक हितों का केंद्र और देश का निवासी तभी माना जाता है जब इंटरप्राइज वहाँ वस्तुओं और/या सेवाओं के उत्पादन के महत्वपूर्ण कार्य में लगा हो या वहाँ की भूमि या भवन उसके स्वामित्व में हो। इंटरप्राइज का ऐसे देश में कम से कम एक उत्पादन संस्थान हो और वह उसे अनिश्चित काल या दीर्घावधि के लिए वहाँ चलाना चाहता हो।

फ्री रिज़र्व और अधिशेष(सरप्लस)

फ्री रिज़र्व और अधिशेष (सरप्लस) में सभी अभारग्रस्त रिज़र्व **शामिल** होंगे जेसै:

i. सामान्य रिज़र्व जिसमें से हानियां, यदि कोई हों, को घटाया गया हो;
ii. कैपिटल रिज़र्व;
iii. डेवलपमेंट रिबेट रिज़र्व
iv. शेयरों पर प्रीमियम
v. लाभांश समकरण(equalization) रिज़र्व
vi. निवेश अलाउंस **(यूटीलाइज्ड)** रिज़र्व

फ्री रिज़र्व और अधिशेष (सरप्लस) में से टैक्स संबंधी प्रावधान और निम्नलिखित जैसी मदों को घटा दिया जाए

i. आस्थगित कर के लिए प्रावधान
ii. टैक्स के समकरण(equalization) हेतु रिज़र्व
iii. निवेश अलाउंस **(यूटीलाइज्ड)** रिज़र्व और
iv. पुनर्मूल्यन(रिवैल्युएशन) रिज़र्व

रोक रखा गया लाभ (ब्लाक 1बी, मद सं. 3.4)

रोक रखा गया लाभ=टैक्स घटाकर शेष रहा लाभांश-घोषित लाभांश (लाभांश पर कर को छोड़कर)

(अर्थात मद सं. 3.4 = मद सं. 3.2 - ब्लाक - 1बी की मद सं. 3.3)

ए. प्रत्यक्ष निवेश

प्रत्यक्ष निवेश अंतर्राष्ट्रीय निवेश की वह श्रेणी है जिसमें एक आर्थिक क्षेत्र/देश की निवासी इंटिटी अर्थात प्रत्यक्ष निवेशकर्ता (DI) अन्य आर्थिक क्षेत्र/देश के निवासी इंटरप्राइज अर्थात प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज (DIE) में दीर्घावधि हितों को अर्जित करती है। इसमें दो घटक होते हैं अर्थात ईक्विटी कैपिटल और अन्य कैपिटल।

(i) प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत ईक्विटी कैपिटल

यह (1) शाखाओं में ईक्विटी और उसकी सहायक तथा सहयोगी कंपनियों में सभी शेयर (गैर भागीदारी अधिमानी शेयरों को छोड़कर); (2) प्रत्यक्ष निवेशकर्ता (DI) द्वारा प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज (DIE) में ईक्विटी सहभागिता द्वारा मशीनरी, भूमि और भवन जैसे प्रावधानों के लिए किए गए अंशदान; (3) प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज (DIE) द्वारा अपने प्रत्यक्ष निवेशकर्ता (DI) के शेयरों का अर्जन जिन्हें रिज़र्व निवेश माना गया हो (अर्थात प्रत्यक्ष निवेशक र्ता पर दावे i.e. claims on DI) को कवर करता है।

a) <u>भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश</u> (ब्लाक 2ए, 2बी)

यदि भारतीय कंपनी ने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत अनिवासी इंटिटी को शेयर जारी किए हों तो उन्हें भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (देयताओं) के अंतर्गत विवरणी के खंड II में रिपोर्ट किया जाएगा। यदि अनिवासी इंटिटी रिपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनी की **10% या अधिक** ईक्विटी/के साधारण शेयरों को धारण किए हो तो उसे **ब्लाक 2ए** (प्रत्यक्ष निवेशगत देयताओं की मद सं. 1.2) के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाएगा। तथापि, यदि अनिवासी इंटिटी रिपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनी की **10% से न्यून** ईक्विटी कैपिटल धारण किए हो तो उसे **ब्लाक 2बी** (प्रत्यक्ष निवेशगत देयताओं की मद सं. 1.2) के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाएगा। इन दोनों मामलों में निवेशकर्ता अनिवासी इंटिटी को प्रत्यक्ष निवेशकर्ता(DI) कहा जाता है जबकि रिपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनी को प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज (DIE) कहा जाता है।

यदि **रिपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनी** भी **प्रत्यक्ष निवेशकर्ता (DI) विदेशी कंपनी के ईक्विटी शेयरों** को विदेश में धारण किए हो और यदि इसके शेयर निवेशकर्ता (DI) कंपनी की ईक्विटी कैपिटल के **10% से न्यून** हें तो उसे **<u>विपर्यय (रिवर्स) निवेश</u>** कहा जाता है और उसे संबंधित ब्लाक यथा **ब्लाक 2ए या ब्लाक 2बी** के अंतर्गत **मद सं. 1.1**(प्रत्यक्ष निवेशकर्ता पर दावे) के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाएगा।

b) <u>भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश</u>(ब्लाक 4ए तथा 4बी)

यदि रिपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनी भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना अर्थात विदेशी संयुक्त उद्यम (JV) या विदेशी पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनी (WOS) में निवेश करने की योजना के अंतर्गत अनिवासी कंपनी के शेयरों में निवेश करती है तो उसे विदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत खंड III में रिपोर्ट किया जाएगा। यदि भारतीय कंपनी की ईक्विटी धारिता अनिवासी कंपनी में **10% या अधिक हो** तो उसे **ब्लाक 4ए** (DIE पर दावे के तहत मद सं. 1.1) में रिपोर्ट किया जाएगा, **अन्यथा** उसे **ब्लाक 4बी** (DIE पर दावे के तहत मद सं. 1.1) में रिपोर्ट किया जाएगा। इन दोनों ही मामलों में भारतीय कंपनी को प्रत्यक्ष निवेशकर्ता कहा जाता है जबकि अनिवासी कंपनी को प्रत्यक्ष निवेश उद्यम(इंटरप्राइज) कहा जाता है।

यदि **अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम(इंटरप्राइज)** भी **भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी में ईक्विटी शेयर** धारण करती है और यदि उसके ये शेयर रिपोर्टिंग कंपनी के ईक्विटी कैपिटल के **10% से न्यून**

होते हैं तो इसे विपर्यय (रिवर्स) निवेश कहा जाता है और उसे संबंधित ब्लाक अर्थात ब्लाक 4ए या 4बी की मद सं. 1.2(प्रत्यक्ष निवेश उद्यम(इंटरप्राइज के प्रति देयताएं) में रिपोर्ट किया जाएगा।

(ii) <u>प्रत्यक्ष निवेश</u> (ब्लाक 2ए, 2बी, 4ए और 4 बी) **<u>के अंतर्गत अन्य कैपिटल</u>**

प्रत्यक्ष निवेश के घटकों के अंतर्गत अन्य कैपिटल (अंतर-कंपनी कर्ज (डेट) लेनदेन) में **उधार या निधियों को उधार देने, कर्ज प्रतिभूतियों में निवेश जिनमें गैर सहभागिता वाले अधिमानी शेयर(non-participating preference share), ट्रेड क्रेडिट, वित्तीय लीजिंग, शेयर आवेदन जो प्रत्यक्ष निवेशकर्ता और प्रत्यक्ष निवेश उद्यम (इंटरप्राइज) के बीच हुए हों, शामिल होते हैं।** प्रत्येक्ष निवेशकर्ता द्वारा धारण किए गए गैर सहभागिता वाले अधिमानी शेयरों को कर्ज प्रतिभूति (Debt security) माना जाता है और उन्हें अन्य कैपिटल में शामिल किया जाएगा।

बी. <u>पोर्टफोलियो निवेश</u>:

(i) **पोर्टफोलियो निवेश** (ब्लाक 3ए और 5 ए)

यह मद ईक्विटी और कर्ज प्रतिभूतियों में **रिपोर्टकर्ता भारतीय कंपनी द्वारा किए गए विदेशी दावे या के प्रति विदेशी देयताएं** कवर करती है **जो प्रत्यक्ष निवेश** (ब्लाक 2ए, 2बी और 4ए, 4बी) में शामिल नहीं हैं। कर्ज प्रतिभूतियों में दीर्घावधि बांड और नोट्स, शार्ट टर्म मनी मार्केट लिखत शामिल हैं।

भारत में पोर्टफोलियो योजना के अतर्गत **भारतीय कंपनी में किसी अनिवासी इंटिटी** द्वारा किया गया निवेश **ब्लाक 3ए** के अंतर्गत (पोर्टफोलियो देयताओं में) रिपोर्ट किया जाएगा।

किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत किए गए निवेश से भिन्न विदेशी शेयरों और/या कर्ज प्रतिभूतियों में किए गए निवेश **ब्लाक 5ए** (पोर्टफोलियो परिसंपत्तियों) के अंतर्गत रिपोर्ट किए जाएंगे।

(ii) **<u>ईक्विटी प्रतिभूतियाँ</u>** (ब्लाक 3ए और 5ए, मद सं. 1.0)

ईक्विटी प्रतिभूतियाँ वे लिखत हैं जो सभी लेनदारों के दावों की पूर्ति करने के बाद जारीकर्ता इंटरप्राइज के पास अवशिष्ट रही आय पर धारक के दावे की पुष्टि करती हैं। इनमें साधारण शेयर, स्टाक, सहभागिता अधिमानी शेयर, अनिवासियों को जारी ईक्विटी प्रतिभूतियों के स्वामित्व को दर्शाने वाली डिपाज़िटरी रसीदें (एडीआर/जीडीआर), मुचुअल फंडों और निवेश ट्रस्टों के शेयर/यूनिटें, ईक्विटी प्रतिभूतियाँ जो पुनर्खरीद करार के तहत बेची गईं, उधार देने की व्यवस्था के तहत बेची गईं हों, शामिल हैं।

(iii) **<u>कर्ज (डेट) प्रतिभूतियाँ</u>** (ब्लाक 3ए और 5ए, मद सं. 2.0)

इनमें बांड और नोट्स, मुद्रा बाजार के लिखत शामिल हैं।

(iv) **<u>बांड और नोट्स</u>** (ब्लाक 3ए और 5ए, मद सं. 2.1)

इस श्रेणी में वे कर्ज प्रतिभूतियाँ शामिल हैं जिनकी मौलिक संविदात्मक परिपक्वता अवधि एक साल से अधिक (दीर्घावधि) है। इनमें डिबेंचर, गैर सहभागिता अधिमानी शेयर, परिवर्तनीय बांड, परक्राम्य जमा

प्रमाणपत्र (NCD), बेमियादी बांड, संपार्श्विक बंधक दायित्व, दोहरी करेंसी, जीरो कूपन बांड, फ्लोटिंग रेट बांड और इंडेक्स संबद्ध बांड जैसी दीर्घावधि प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

(v) **<u>मुद्रा बाजार के लिखत(Money Market Instruments</u>**(ब्लाक 3ए और 5ए, मद सं. 2.2)

इन अल्पावधि लिखतों में ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, बैंकर की स्वीकृति, अल्पावधि जमाराशियों के परक्राम्य प्रमाणपत्र और अल्पावधि नोट्स जो नोट जारी करने की सुविधा के तहत जारी हुए शामिल हैं। यह नोट किया जाए कि मुद्रा बाजार के लिखतों की विशेषताओं (को शेयर करने) वाले लिखत जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष या अधिक है को बांड या नोट्स में वर्गीकृत किया जाता है।

सी. <u>वित्तीय डेरिवेटिव:</u>(ब्लाक 3बी और 5बी)

वित्तीय डेरिवेटिव विनिर्दिष्ट वित्तीय लिखत, इंडीकेटर, या पण्य (कमोडिटी) से संबद्ध होते हैं और उनके मार्फत विनिर्दिष्ट वित्तीय जोखिमों को उनके अधिकार के तहत वित्तीय बाजार में खरीदा-बेचा (ट्रेड किया) जा सकता है। डेरिवेटिव लिखतों में फ्यूचर्स, ब्याज दर और करेंसी स्वाप, वायदा दर करार (forward rate agreements), वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं, क्रेडिट डेरिवेटिव और विभिन्न प्रकार के आप्शंन शामिल हैं।

डी. <u>अन्य निवेश:</u>(ब्लाक 3सी और 5सी)

यह एक अवशिष्ट श्रेणी है जिसमें **प्रत्यक्ष निवेश या पोर्टफोलियो निवेश न समझे गए** शेष सभी वित्तीय लिखत शामिल हैं।

(i) <u>ट्रेड क्रेडिट</u>(ब्लाक 3सी और 5सी, मद सं. 4.0)

ट्रेड क्रेडिट वे परिसंपत्तियाँ और देयताएं हैं जो **आपूर्ति कर्ता** से **क्रेता को वस्तुओं एवं सेवाओं** को क्रय करने के लिए क्रेडिट के रूप में **सीधे मिलीं** और क्रेता द्वारा वस्तुओटं एवं सेवाओं और प्रगति पर रहे कार्यों के संबंध में **अग्रिम भुगतान** से उत्पन्न हुई हों। **ट्रेड क्रेडिट परिसंपत्तियाँ आयातकर्ता** द्वारा आयात के लिए **किए गए अग्रिम भुगतान** हैं या **निर्यातकर्ता द्वारा आयातकर्ता** को मिली **सीधी क्रेडिट** है । यहाँ यह नोट किया जाए कि वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के प्रयोजन से **आपूर्तिकर्ता से भिन्न इंटरप्राइज** द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों को ट्रेड क्रेडिट न मानकर **ऋण माना जाता है।**

(ii) <u>ऋण</u> (ब्लाक 3सी और 5सी, मद सं. 5.0)

किसी उधार देने वाले द्वारा किसी उधार लेने वाले को किसी प्रबंध के अंतर्गत सीधे निधियाँ उपलब्ध कराना ऋण कहलाता है। इनमें व्यापार (ट्रेड) के लिए वित्तीय सहायता देना (अर्थात क्रेता को ऋण जिसमें कोई बैंक या वित्तीय संस्था या निर्यातकर्ता देश की निर्यात ऋण प्रदाता एजेंसी वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय के लिए विदेशी क्रेता या आयातकर्ता देश के बैंक को सीधे ऋण उपलब्ध कराता है), बंधक, और अन्य ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। वित्तीय लीज और पुनर्खरीद करार को भी ऋण माना जाता है।

कृपया नोट करें कि **अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशकर्ता से प्राप्त ऋण** को **ब्लाक 2ए या 2बी** में **अन्य कैपिटल शीर्षक के तहत** दर्ज करना चाहिए, जबकि आपकी सहायक या सहयोगी कंपनियों क ाट दिए गए

ऋण को **ब्लाक 4ए या 4बी** के अन्य कैपिटल शीर्षक के तहत दर्ज करना चाहिए। ये बकाया ऋण ब्लाक 3सी या 5सी के अंतर्गत ऋण शीर्षक के तहत रिपोर्ट किए जाने चाहिए।

<u>अन्य देयताएं और परिसंपत्तियाँ</u> (ब्लाक 3सी और 5सी, मद सं. 6.0)

ये वे अवशिष्ट मदें हैं जिनमें देयताओं/परिसंपत्तियों के अंतर्गत अन्यत्र रेकार्ड न की गई सभी वाह्य वित्तीय देयताएं और परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। बकाया ब्याज भुगतान से संबंधित खाते, बकाया रहे ऋण के भुगतान, बकाया मजदूरी और वेतन, बीमा प्रीमियम के अवधिपूर्व भुगतान, बकाया कर और ऐसी अन्य मदों जैसे ये विविध प्राप्य/देय लेखे शामिल हैं।

(iii) <u>दीर्घावधि और अल्पावधि निवेश</u> (ब्लाक 3सी और 5सी)

दीर्घावधि निवेश को उस निवेश के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी मूल संविदात्मक परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक हो। अल्पावधि निवेश में ऐसी करेंसी, ऐसे निवेश शामिल हैं जो मांग पर देय हैं या जिनकी संविदात्मक परिपक्वता अवधि एक वर्ष या उससे कम है।

ई. <u>भारत और विदेश में विनिवेश</u> (ब्लाक 2ए, 2बी, 3ए, 4ए, 4बी और 5ए की मद सं. 3.0)

रिपोर्टकर्ता भारतीय कंपनी के अनिवासी प्रत्यक्ष निवेकर्ता द्वारा वर्ष के दौरान किया गया कोई विनिवेश ब्लाक 2ए और ब्लाक 2बी में तथा पोर्टफोलियो विनिवेश को ब्लाक 3ए में रिपोर्ट किया जाएगा। इसी प्रकार रिपोर्टकर्ता भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम (DIE) में वर्ष के दौरान किया गया विनिवेश ब्लाक 4ए और 4बी तथा पोर्टफोलियो विनिवेश रिपोर्टकर्ता कंपनी द्वारा ब्लाक 5ए में रिपोर्ट किया जाएगा।

एफ. <u>आकस्मिक देयताएं</u> (ब्लाक 7)

आकस्मिक देयताएं वे दायित्व हैं जो किसी घटना विशेष के घटने या न घटने से उत्पन्न होते हैं। आकस्मिक देयताएं (i) स्पष्टत:- विधिक या सांविधिक प्रबंध (ऋण और अन्य भुगतान गारंटियाँ, क्रेडिट गारंटियाँ, आकस्मिक क्रेडिट उपलब्धता, विनिमय दर गारंटी, आदि) से उत्पन्न हुई हों और (ii) अंतर्निहित:- जो विधिक या संविदात्मक स्रोतों से उत्पन्न हुई हों, किन्तु किसी स्थिति के होने/घटना के घटने/महसूस होने पर मानी जाती हैं।

यदि कोई भारतीय कंपनी किसी अनिवासी इंटिटी (जो उसकी विदेश स्थित सहायक कंपनी भी हो सकती है) द्वारा लिए गए ऋण की गारंटी देती है, तो ऐसी गारंटी उसकी आकस्मिक विदेशी देयता का भाग होगी। इस मामले में ब्लाक 7 के स्तंभ (कालम) 1 के अंतर्गत "ऋण गारंटी" लिखना जरूरी होगा।

इस देश का मिलान उस देश से करना चाहिए जिसका (संबंधित स्थान का) अनिवासी क्रेडिटर लेनदेन में शामिल हो। उल्लेखानुसार उदाहरण स्वरूप यदि ऋण के लिए दी गई गारंटी से आकस्मिक विदेशी देयता का संबंध है तो गारंटी प्राप्त अनिवासी क्रेडिटर के निवासी देश को स्तंभ(कालम) 2 में रिपोर्ट किया जाएगा।